नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

मु0नं0 67/2015 (2015/00106)

उनवानी महेश कानोड़िया बनाम कस्टोडियन विभाग वगै0

06.02.2020 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर आदेश दिया जाना है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण का अपनी दर0 की ताईद में बहस है कि वादग्रस्त अराजियात राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन भूमि दर्ज है। तथा कस्टोडियन की भूमि से संबंधित वाद सुनने का हक अदालत हाज़ा को नहीं है। कस्टोडियन भूमि के बाबत् कमेटी गठित की हुई है। जिसमें कस्टोडियन भूमि का निस्तारण गठित की हुई कमेटी में किया जाता है न कि वाद के जरिये। इसलिये इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं होने के कारण वाद वादी खारिज होने के योग्य है। वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि विवादित आराजी गत ख0नं0 420 वाके ग्राम सूरजगढ़ में महकमा कस्टोडियन के नाम दर्ज थी। जो नामान्तकरण संख्या 92 दिनांक 25.01.1973 के द्वारा वादी के पिता मोहनलाल के नाम पट्टा नं0 86 दिनांक 03.11.1973 से रकबा 2 बिगा 2 बिश्वा दर्ज हुआ। गत ख0नं0 442 के हाल ख0 नं0 949 कायम हुये में नामान्तकरण संख्या 92 से वादी के पिता के नाम 2 बिगा 2 बिश्वा व नामान्तकरण संख्या 77 दिनांक 22.03.1993 से रकबा 2.67 है0 सुरजाराम पुत्र कुरड़ाराम नायक के नाम दर्ज हुई। भू0प्र0 विभाग ने वादी के पिता की आंवटित भूमि को वादीगण के नाम रकबा 0.53130 है0 रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज नहीं किये गये। इस प्रकार मामला रिकार्ड दुरूस्ती का होने से माननीय न्यायालय को वाद पत्र सुनने का क्षेत्रार्धिकार है। सेटेलमेंट विभाग को उक्त भूमि को पुनः महकमा कस्टोडियन दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था दावा में तनकीयात कायम कर सहादत आने पर तय हो सकता है। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज नहीं हो सकता। वकील वादीगण ने दौराने बहस अदालत का ध्यान न्यायिक दृष्टांत 2012 (2) RRT1371 की ओर दिलाया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विवादित आराजेयात दर्ज है। इसलिये कस्टोडियन भूमि को सुनने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:43:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner